

2018/00104

5-03/18

प्रकरण सं 03/18
2.5

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

सि.स.वा.

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सोनी की जमाबन्दी

संवत् 2073 खाता संख्या 2 में -

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा नाम जयकिशन/नेजारास है तथा खातेदारी में नाम जयत पविष किशनाराम हो गया है किशनाराम का हटाकर जयकिशन नाम पविष करें। मेरा आधार नंबर 5304 25791652 है। हमारी समस्या का समाधान करें।

जयदीप जयकिशन

दिनांक - 02/05/2018

स्थान गाँव सोनी

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

जयकिशन

दिनांक ..

प्रमाण सं 03/18 दि 25/8

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

सीमान से निवेदन है कि जयकिशन व. तेजाराज ने अपना नाम

जयकिशन के खाता सं 2 में खं 410, 426, 521 एवं 524 में

कुल रकम 5618 बीघा में उलत दर्ज होना बताया। खातेदारी में पिता तेजाराज को

के समग्र नाम में, किशनाराज व. तेजाराज दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक

अग्र दस्तावेजों में जयकिशन पुत्र तेजाराज है। अतः खातेदारी में भी

किशनाराज पुत्र तेजाराज के स्थान पर सही नाम जयकिशन पुत्र

तेजाराज सही ठिकाना उचित रहेगा। प्रार्थी का नाम (पुत्राराज

व. तेजाराज ने किशनाराज के स्थान पर जयकिशन नाम शुद्ध करने की सहमति

ले है। रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

25/8/2018
उपर सोनी

पटवारी। भू.अ.नि. निरीक्षण की रिपोर्ट एवं सांलगन साक्ष्य

दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम "किशनाराज

पुत्र तेजाराज" के स्थान पर जयकिशन पुत्र तेजाराज

के नाम उरखी की अनुरोध की जाती है।

25/8/18
उपर सोनी

आदेश

तहसीलदार चेडवा, उपर सोनी, पटवारी सोनी से प्राप्त जंच रिपोर्ट एवं

प्रार्थी द्वारा उपरका पत्र के साथ पेश दस्तावेजों साक्ष्य सूरतों के

आधार पर प्रार्थी का उपरका पत्र खींचा का उपरका का

नाम किशनाराज पुत्र तेजाराज के स्थान पर शुद्ध नाम जयकिशन

पुत्र तेजाराज युद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्तानुसार

राजसभे रिकॉर्ड में अमल कराया करने का तहसीलदार चेडवा को

आदेश दिया जाता है। फावला फंडल सुधार हेतु सांख्यिक



उपर खण्ड अधिकारी

उपर खण्ड अधिकारी

चौहटन